न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 69/19

GCMS NO 2019/00138

1. कमलराम पुत्र रामजीलाल(मृतक)
   1/1. बालकृष्ण
   1/2. होलसिह पुत्रान स्व0कमलराम
   1/3. प्रियंका पुत्री स्व0कमलराम
   1/4. रूमाली पत्नि स्व0कमलराम जातियान मीना निवासीयान गढमोरा तहसील नादौती जिला करौली
2. भगवानसहाय पिसरान रामजीलाल जातियान मीना निवासीयान गढमोरा तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. नेमीचंद पुत्र बिरदया
2. तेजराम
3. भरतलाल
4. लक्खी पिसरान दूदया समस्त जातियान मीना निवासीयान गढमोरा तहसील नादौती जिला करौली
5. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नादौती ।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 282/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.8.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती)

अभिभाषक अपीला0 श्री हरिवल्लभ चुर्तवेदी

अभिभाषक रैस्पो0 श्री अशोक निमनका

दिनांक 25.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.8.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पिता बिरदया व रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 के पिता दूदया द्वारा एक वाद पत्र दुरूस्ती इन्द्राज,तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही कुटुम्ब के सदस्य है। वादीगण के पिता के फौत होने के बाद वादीगण की मॉ अमरया पुत्र सीताराम के नाते बैठ गई। अमरया भी वादीगण के साथ वादी के घर मे ही रहने लग गया। ग्राम गढमोरा मे वादी एवं अमरया की खाते [illegible] भूमि ख0न0 2431 रकबा 1 विस्वा 6 विस्वा , 2383 रकबा 9 विस्वा, [illegible] 2422 [illegible] 1 बीघा 12 विस्वा, 2470 रकबा 5 बीघा , 2439 रकबा 5 विस्वा, 2440 [illegible] 6 विस्वा, 2482 [illegible] 1 बीघा 6 विस्वा, 2483 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा , 2488 रकबा [illegible] बीघा 2 विस्वा, 2489 [illegible] 5 विस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

2512 रकबा 4 बीघा 2 विस्वा, 2513 रकबा 10 बीघा 3 विस्वा, 2612 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 34 बीघा 2 विस्वा जिसकी खातेदारी सम्वत 2003 मे मुताबिक खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 482/485 25 बीघा 12 विस्वा वादीगण व अमरया के हक मे पहले से ही दर्ज है तथा 1 बीघा 6 विस्वा भूमि की खातेदारी खाता संख्या 487/486 उक्त तीनो के नाम हिस्सा बराबर दर्ज है तथा 7 बीघा 4 विस्वा की खातेदारी खाता संख्या 539/542 अनुसार वादी न0 1 व अमरया के हक मे दर्ज हो गया। उक्त रिकार्ड मे अमरया को गलत प्रकार से कल्या का पुत्र बताकर इन्द्राज किया है क्योकि अमरया तो सीताराम के खून से पैदा हुआ था तथा 7 बीघा 4 विस्वा जो खाता न0 539 की भूमि है, मे दूदया का नाम दर्ज नही किया , जबकि दूदया देवा का पुत्र है और खाता संख्या 539 की भूमि भी अमरया ,विरदया व दूदया हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। देवा फौत हो चुका है। वादीगण की मॉ अमरया के नाते बैठ गई तथा तीनो शामलाती उक्त आराजीयात को काश्त कर रहे है । अमरया समझदार था। वादीगण कम उम्र के नासमझ थे । वादीगण का बाबा काल्या व पिता कुछ अन्तराल मे फौत हो गये। उक्त भूमि के एकीकरण मे ख0न0 987 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, 1027 रकबा 5 विस्वा, 2028 रकबा 12 बीघा 7 विस्वा, कुल 14 बीघा 17 विस्वा, 604 रकबा 2 विस्वा, 1007 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, , 1041 रकबा 16 बीघा 13 विस्वा, 1131 रकबा 14 विस्वा, कुल 21 बीघा 2 विस्वा का खाता संख्या 153 कायम किया है। इस प्रकार उक्त भूमि को गलत रूप से 2 अलग अलग खातो मे विभाजित कर दिया गया। जिसका खाता संख्या 2 का इन्द्राज अमरया के हक मे व खाता संख्या 153 का इन्द्राज वादीगण के हक मे कर दिया गया। उक्त वर्णित आराजी के हाल बन्दोबस्त मे खाता संख्या 352 के ख0न0 800 रकबा 21 ऐयर , 2620 रकबा 24 ऐयर, 2622 रकबा 21 ऐयर, 2694 रकबा 15 ऐयर, 2695 रकबा 16 ऐयर, 2696 रकबा 20 ऐयर, 2697 रकबा 17 ऐयर, 2698 रकबा 38 ऐयर, 2699 रकबा 41 ऐयर, 2700 रकबा 42 ऐयर, 2701 रकबा 03 ऐयर, 2702 रकबा 20 ऐयर, 2703 रकबा 28 ऐयर, 2904 रकबा 05 ऐयर, 2705 रकबा 33 ऐयर, 2706 रकबा 32 ऐयर, 2707 रकबा 10 ऐयर, 2708 रकबा 41 ऐयर कुल रकबा 3.99 है0 तथा खाता संख्या 216 हाल ख0न0 967 रकबा 21 ऐयर, 2661 रकबा 23 ऐयर, 2663 रकबा 17 ऐयर, 2664 रकबा 40 ऐयर, 2710 रकबा 1.65 है0 , 2711 रकबा 1.28 है0 , 2712 रकबा 1.34 है0 , 3008 रकबा 16 ऐयर, , 967/3116 रकबा 7 ऐयर, ,3010/3222 रकबा 6 ऐयर कायम किये परन्तु रिकार्ड की पूर्व गलती को दोहराते हुए खाता संख्या 350 की भूमि रकबा 3.99 है0 का इन्द्राज अकेले प्रतिवादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पति रामजीलाल पुत्र अमरया के हक मे दर्ज कर दिया तथा खाता संख्या 216 की भूमि 0.57 है0 का इन्द्राज वादीगण के हक मे दर्ज कर दिया। उक्त रामजीलाल फौत हो गया उसके वारिसान प्रतिवादीगण है। उक्त वर्णित समस्त आराजीयात मे वादीगण हिस्सा 2/3 तथा प्रतिवादीगण हिस्सा 1/3 को शुरू से का[illegible] क[illegible] चले आ रहे है तथा पूर्व रिकार्ड सम्वत 2003 के अनुसार आराजीयात मे वादीगण का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा है। उक्त आराजीयात का अमरया के जीवनकाल मे मौके पर कोई बंटवारा नही हुआ है। वादीगण व अमरया संयुक्त रूप से काश्त करते रहे व हिस्सा 2/3 का वादीगण तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हिस्सा 1/3 का अमरया लाभ लेता रहा है । अमरया बुजुर्ग हो गया था इसका पुत्र रामजीलाल नाबालिंग था इसलिए सम्पूर्ण भूमि को वादीगण ही काश्त करते थे। जब अमरया फौत हो गया तो वादीगण व रामजीलाल ने हाल बंदोवस्त के बाद संवंत 2042 मे उक्त समस्त आराजीयात का 3 हिस्सो मे मौके पर बंटवारा किस्म अनुसार कर लिया। जिसके अनुसार वादी संख्या 1 के हिस्से मे भूमि ख0न0 2664 रकबा 40 ऐयर, 2710 रकबा 1.65 है0 2622 रकवा 21 ऐयर, 2696 रकबा 20 ऐयर, 2699 रकबा 41 ऐयर, 2703 रकबा 28 ऐयर, 2704 रकवा 6 ऐयर कुल रकबा 3.20 है0 इसी प्रकार वादी संख्या 2 के हिस्से मे ख0न0 2661 रकबा 23 ऐयर, 2663 रकबा 17 ऐयर, 2712 रकबा 1.34 है0, 800 रक़बा 21 ऐयर, 2697 रकबा 17 ऐयर, 2698 रकबा 38 ऐयर, 2706 रकबा 32 ऐयर, कुल रकबा 2.82 है0 तथा रामजीलाल पुत्र अमरया के हिस्से मे आराजी ख0न0 2711 रकबा 1.28 है0, 2620 रकबा 27 ऐयर, 2695 रकबा 16 ऐय, 2700 रकबा 42 ऐयर, 2702 रकबा 29 ऐयर, 2705 रकबा 35 ऐयर, कुल रकबा 2.77 है0 रहे तथा ख0न0 967 रकबा 21 ऐयर , 967/3116 रकबा 7 ऐयर कुल रकबा 28 ऐयर भूमि मे तीनो ने बराबर हिस्से के तीन खेत बनाकर तीनो ही काश्त कर रहे है। ख0न0 3008 रकबा 5 ऐयर, 3010/3222 रकबा 6 ऐयर को भी मौके पर तीन हिस्सो मे तीनो ही काश्त कर रहे है। ख0न0 2694 रकबा 15 ऐयर को भी तीनो ने बराबर हिस्से की भूमि को अपने हिस्से मे आई भूमि को ख0न0 2695,2696,2697 मे मिला रखा है। ख0न0 2701 चाह पुख्ता है जिसमे वादीगण ने 2/3 व रामजीलाल ने हिस्सा 1/3 धन राशि लगाकर सबंत 1989 मे रामसहाय प्रजापत निवासी टोडा तहसील बामनवास से सही कराया है। जिसमे तीनो की करीब दो लाख रूपये की राशि खर्च हुई है। उक्त चाह से वादीगण 2/3 व प्रतिवादीगण 1/3 हिस्से की भूमि की सिचाई करते चले आ रहे है। चाह पर तीनो ने ही एक पुख्ता शिवालय बना रखा है। तथा तीनो की ही इंजन रखे है। ख0न0 2707 रकबा 10 ऐयर , 2708 मे हिस्सा 1/3 मे वादी संख्या 1 की , हिस्सा 1/3 मे वादी संख्या 2 की व हिस्सा 1/3 मे प्रतिवादी के पुख्ता मकान बने हुए है। जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण सपरिवार रहते चले आ रहे है। ख0न0 2708 की भूमि को वादीगण व प्रतिवादीगण ने बाडे आदि के काम मे लेते है। इस प्रकार उक्त आराजीयात मे वादीगण का 2/3 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/3 मौके की दृष्टि से व पूर्ण रिकार्ड के अनुसार निहित है। वादीगण नासमझ थे तथा अमरया चालाक था व वादीगण के साथ ही रहता था। वादीगण अमरया पर पूर्ण विश्वास करते थे, अमरया ने सम्वत 2003 की खतौनी मे 7 बीघा 4 विस्वा भूमि मे वादी संख्या 2 का नाम हजफ करवा दिया व भूमि एकीकरण मे चालाकी व बेईमानी से उक्त आराजीयात के 2 अलग अलग खाते दर्ज करवा दिये। जबकि कोई विभाजन भूमि का नही हुआ था तथा उपजाउ व चाही भूमि थी। उसमे तीसरे हिस्से से भी अधिक भूमि अपने हिस्से मे दर्ज करवा कर अपने नाम अलग से खाता दर्ज करवा लिया। इस प्रकार अमरया ने [illegible] के साथ विश्वास भंग कर बेईमानी से उक्त इन्द्राज करवा लिये। जो वादीगण के खिलाफ [illegible] व बेअसर है। पूर्व बंदोबस्त विभाग भूमि एकीकरण विभाग द्वारा हाल [illegible] की समस्त कार्यवाही व इन्द्राज गेर कानूनी अवैध तथा एवइनिशियो बोईड हेह। उन्हे रिकार्ड [illegible] परिवर्तन करने व भूमि बदलने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

काई अधिकार नही था। वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर बंटवारे व हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। जिसमे वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/3 व प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा है तथा इसी अनुसार खातेदार टीनेन्ट है। प्रतिवादीगण के पिता रामजीलाल के जीवनकाल तक उक्त बंटवारा व अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करने मे कोई परेशानी नही थी, सन 1999 मे पहली बार उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, स्वयं रामजीलाल भी यही चाहता था कि उक्त आराजीयात का इन्द्राज गलत हो रहा है। तथा आपस मे कोई विवाद नही है। इसलिए उसने गांव के पंच पटेलो व रिश्तदारो के साथ विवादित भूमि के संबंध मे इकरारनामा 5/—रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 1.12.99 को भगवान सिह से तहरीर करवाकर अपनी निशानी कर दी जिस पर संभी पंच पटेलो व रिश्तेदारो के हस्ताक्षर निशानी है। रामजीलाल बीमार हालत मे रहा वह इन्द्राज दुरूस्ती नही करा सका, सन 2001 मे फौत हो गया इसके बाद प्रतिवादीगण से वादीगण बार बार कहते रहे कि रिकार्ड मे दुरूस्ती कराओ परन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे, जब गांव के पंच पटेलो व रिश्तेदारो ने कहा कि अब तुम भूमि मे वादीगण के हिस्सा व प्रतिवादीगण का हिस्सा है तथा तुम सभी अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे हो तो प्रतिवादीगण ने हॉ कर ली और दिनांक 13.8.2001 को एक लिखावट इकरारनामा 5/—रूपये के स्टाम्प पर वादीगण के हक मे रामजीलाल शर्मा से तहरीर करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने हस्ताक्षर तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपनी निशानी कर दी तथा गांव के पंच पटेलो व रिश्तेदारो ने बतौर साक्षी अपनी अपनी निशानी व हस्ताक्षर किये। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार इन्द्राज दुरूस्ती के लिए कहा तो प्रतिवादीगण हॉ करते रहे परन्तु दिनांक 31.7.04 को प्रतिवादीगण ने रिकार्ड मे दुरूस्ती कराने की मना कर दी तथा कहॉ कि आयन्दा हम उक्त बाहमी बंटवारे को नही मानेगे। जबकि अब तक वादीगण ने उक्त बंटवारे के अनुसार काश्त की है। प्रतिवादीगण ने धमकी दी है कि वे लोन लेकर वादीगण को परेशान करेगे। विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी की संयुक्त भूमि है। जिसमे वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्स है तथा इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त है। तथा इसी प्रकार पक्षकारान को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर समस्त रेवेन्यू रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर क़ब्जे काश्त मे व उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/ रेस्पो0 संख्या 1 के पिता बिरदया व रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 के पिता दूदया द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का दावा डिकी किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक दूदया पुत्र देवीराम वादी संख्या 2 की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही दावा डिक्री किया जाकर कानूनी भूल की है। दूदया को मरे हुए काफी अर्सा हो चुका है लेकिन उसके वारिसान ने तहत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी की कार्यवाही वादी द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के पक्ष मे डिक्री पारित कर कानूनी भूल की है। जो अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा डिक्री करने से पूर्व वादीगण के कोई बयान दर्ज नही किये है ना ही उनसे जिरह का कोई अवसर प्रतिवादीगण/अपीलांट को दिया है तथा वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो पर किसी प्रकार का प्रदर्श नही डाला है। उपरोक्त दावा नो एवीडेन्स केस की श्रेणी मे आता है। जिसको डिक्री करने मे कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य रिकार्ड किये वादीगण की कहानी पर विश्वास कर कानूनी भूल की है। जबकि मुताबिक सजरा समस्त पैतृक सम्पति मे मिन प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। इस प्रकार समस्त पैतृक सम्पति मे मुताबिक सजरा अपीलांटगण का 1/2 हिस्सा बनता है तथा रेस्पो0 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त सम्पति को पैतृक होने से रेस्पो0 द्वारा इंकार नही किया गया है। वादग्रस्त भूमि को सम्मिलित रूप से काश्त करना अपने दावे मे स्वीकार किया है। वादीगण ने गलत हिस्सेदारी करवाने के आशय से जानबूझकर अपने दावे मे सजरे का उल्लेख नही किया है। क्योकि सजरे का अंकन करने से न्यायालय इस नतीजे पर पहुॅच जाता कि वादीगण का 2/3 हिस्सा नही वरन 1/2 हिस्सा है। वादीगण का बाबा एक ईमानदार व्यक्ति था जिसने अपने दिवंगत चचेरे भाई देवा उर्फ देवीराम के पुत्रगण को अपने हिस्से से भी अधिक भूमि बंटवारे मे दी थी, फिर भी वादीगण/रेस्पो0 ने अपने दावे मे उसे बेंईमान व चालाक किस्म का व्यक्ति बताया है। जो सरासर गलत है। यदि वादीगणं/रेस्पो0 तीन पीढी पूर्व हुए विभाजन से संतुष्ट नही है तथा नये सिरे से विभाजन कराना चाहते है तो प्रतिवादीगण/अपीलांट को वादग्रस्त सम्मति मे से उनका सही हिस्सा 1/2 दिलवाया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। वादीगण/रेस्पो0 ने स्वयं अपने दावे मे सम्वत 2003 की खतौनी बंदोवस्त मे अपना हिस्सा 1/2 तथा अपीलांट के पूर्वज अमरया का हिस्सा 1/2 दर्ज होना स्वीकार किया है। इतनी लम्बी अवधि के बाद राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात को चुनौति दिया जाना न्यायोचित नही है। वादी/रेस्पो0 किसी आधार पर वादग्रस्त सम्पति मे अपना 2/3 हिस्सा बताते है इसका उन्होने कोई ठोस कारण दर्ज नही किया है। जबकि मुताबिक सजरा अपीलांट व रेस्पो0 का बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 5/–रूपये के अपंजीकृत स्टाम्प को आधार मानकर निर्णय पारित किया है [illegible] साक्ष्य मे प्रदर्शित किया है ना ही उक्त दस्तावेज को साबित करने के लिए [illegible] पेश किया है। उक्त दस्तावेज से अपीलांट/प्रतिवादीगण ने साफ इंकार [illegible] को फोर्ज्ड,फाल्स व फेब्रिकेटेड बताया है। उक्त दस्तावेज अपंजीकृत दस्तावेज है जो साक्ष्य मे ग्रहण किये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Baldt
Date: 2025.04.22 15:44:55 IST
Reason: SelfAttested

योग्य नही है। इस प्रकार के दस्तावेज का कोई कानूनी महत्व नही है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। इस कारण निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अपीलांट अपने पिता से विरासत मे प्राप्त भूमि ख0न0 800 रकबा 21 ऐयर , 2620 रकबा 24 ऐयर, 2622 रकबा 21 ऐयर, 2694 रकबा 15 ऐयर, 2695 रकबा 16 ऐयर, 2696 रकबा 20 ऐयर, 2697 रकबा 17 ऐयर, 2698 रकबा 38 ऐयर, 2699 रकबा 41 ऐयर, 2700 रकबा 42 ऐयर, 2701 रकबा 03 ऐयर, 2702 रकबा 29 ऐयर, 2703 रकबा 28 ऐयर,2704 रकबा 5 ऐयर, 2705 रकबा 33 ऐयर, 2706 रकबा 32 ऐयर, 2707 रकबा 10 ऐयर, 2708 रकबा 4 ऐयर कुल रकबा 3.99 है0 वाके तन गढमोरा तहसील नादौती पर तन्हा रूप से काबिज है। उक्त आराजी पर रेस्पो0 का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही रहा है। रेस्पो0 का शुरू से ही ख0न0 967 रकबा 21 ऐयर, 2661 रकबा 23 ऐयर, 2663 रकबा 17 ऐयर, 2664 रकबा 40 ऐयर, 2710 रकबा 1.65 है0, 2711 रकबा 1.28 है0 2712 रकबा 1.34 है0 3008 रकबा 16 ऐयर, 967/3116 रकबा 7 ऐयर, 3010/3222 रकबा 6 ऐयर कुल किता 10 कुल रकबा 5.57 है0 पर है जो अपीलांट के रकबे से अधिक है। चाह मे अपीलांट का हिस्सा 1/2 , रेस्पो0 का हिस्सा 1/2 है। जो दोनो पक्षो ने शामलात मे तैयार कराया है । इन तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर दावा वादी /रेस्पो0 अवैट घोषित कर खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे अवगत कराया कि विवादित भूमि के एकीकरण मे ख0न0 987 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, 1027 रकबा 5 विस्वा, 2028 रकबा 12 बीघा 7 विस्वा, कुल 14 बीघा 17 विस्वा, 604 रकबा 2 विस्वा, 1007 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, , 1041 रकबा 16 बीघा 13 विस्वा, 1131 रकबा 14 विस्वा, कुल 21 बीघा 2 विस्वा का खाता संख्या 153 कायम किया है। इस प्रकार उक्त भूमि को गलत रूप से 2 अलग अलग खातो मे विभाजित कर दिया गया। जिसका खाता संख्या 2 का इन्द्राज अमरया के हक मे व खाता संख्या 153 का इन्द्राज रेस्पो/वादीगण के हक मे कर दिया गया। उक्त वर्णित आराजी के हाल बन्दोबस्त मे खाता संख्या 352 के ख0न0 800 रकबा 21 ऐयर , 2620 रकबा 24 ऐयर, 2622 रकबा 21 ऐयर, 2694 रकबा 15 ऐयर, 2695 रकबा 16 ऐयर, 2696 रकबा 20 ऐयर, 2697 रकबा 17 ऐयर, 2698 रकबा 38 ऐयर, 2699 रकबा 41 ऐयर, 2700 रकबा 42 ऐयर, 2701 रकबा 03 ऐयर, 2702 रकबा 20 ऐयर, 2703 रकबा 28 ऐयर, 2904 रकबा 05 ऐयर, 2705 रकबा 33 ऐयर, 2706 रकबा 32 ऐयर, 2707 रकबा 10 ऐयर, 2708 रकबा 41 ऐयर कुल रकबा 3.99 है0 तथा खाता संख्या 216 हाल ख0न0 967 रकबा 21 ऐयर, 2661 रकबा 23 ऐयर, 2663 रकबा 17 ऐयर, 2664 रकबा 40 ऐयर, 2710 रकबा 1.65 है0, 2711 रकबा 1.28 है0 , 2712 रकबा 1.34 है0 , 3008 रकबा 16 ऐयर, , 967/3116 रकबा 7 ऐयर, ,3010/3222 रकबा 6 ऐयर कायम किये परन्तु रिकार्ड की पूर्व गलती को दोहराते हुए खाता संख्या 350 की भूमि रकबा 3.99 है0 का इन्द्राज अकेले अपीलांट/प्रतिवादीगण के पिता रामजीलाल पुत्र अमरया के हक मे दर्ज कर दिया तथा खाता संख्या 216 की भूमि 0.57 है0 का इन्द्राज रेस्पो/वादीगण के हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मे दर्ज कर दिया। उक्त रामजीलाल फौत हो गया उसके वारिसान अपीलांट/प्रतिवादीगण है। उपर वर्णित समस्त आराजीयात मे रेस्पो/वादीगण हिस्सा 2/3 तथा अपीलांट/प्रतिवादीगण हिस्सा 1/3 को शुरू से काश्त करते चले आ रहे है तथा पूर्व रिकार्ड सम्वत 2003 के अनुसार आराजीयात मे रेस्पो/वादीगण का 2/3 हिस्सा व अपीलांट/प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा है। उक्त आराजीयात का अमरया के जीवनकाल से मौके पर कोई बंटवारा नही हुआ है। रेस्पो/वादीगण व अमरया संयुक्त रूप से काश्त करते रहे है व हिस्सा 2/3 का रेस्पो/वादीगण तथा हिस्सा 1/3 का अमरया लाभ लेता रहा है । अमरया बुजुर्ग हो गया था इसका पुत्र रामजीलाल नाबालिंग था इसलिए सम्पूर्ण भूमि को रेस्पो/वादीगण ही काश्त करते थे। जब अमरया फौत हो गया तो रेस्पो/वादीगण व रामजीलाल ने हाल बंदोवस्त के बाद संबंत 2042 मे उक्त समस्त आराजीयात का 3 हिस्सो मे मौके पर बंटवारा किस्म अनुसार कर लिया। जिसके अनुसार वादी संख्या 1 के हिस्से मे भूमि ख0न0 2664 रकबा 40 ऐयर, 2710 रकबा 1.65 है0 2622 रकबा 21 ऐयर, 2696 रकबा 20 ऐयर, 2699 रकबा 41 ऐयर, 2703 रकबा 28 ऐयर, 2704 रकबा 6 ऐयर कुल रकबा 3.20 है0 इसी प्रकार वादी संख्या 2 के हिस्से मे ख0न0 2661 रकबा 23 ऐयर, 2663 रकबा 17 ऐयर, 2712 रकबा 1.34 है0, 800 रकबा 21 ऐयर, 2697 रकबा 17 ऐयर, 2698 रकबा 38 ऐयर, 2706 रकबा 32 ऐयर, कुल रकबा 2.82 है0 तथा रामजीलाल पुत्र अमरया के हिस्से मे आराजी ख0न0 2711 रकबा 1.28 है0, 2620 रकबा 27 ऐयर, 2695 रकबा 16 ऐय, 2700 रकबा 42 ऐयर, 2702 रकबा 29 ऐयर, 2705 रकबा 35 ऐयर कुल रकबा 2.77 है0 रहे तथा ख0न0 967 रकबा 21 ऐयर , 967/3116 रकबा 7 ऐयर कुल रकबा 28 ऐयर भूमि मे तीनो ने बराबर हिस्से के तीन खेत बनाकर तीनो ही काश्त कर रहे है। ख0न0 3008 रकबा 5 ऐयर, 3010/3222 रकबा 6 ऐयर को भी मौके पर तीन हिस्सो मे तीनो ही काश्त कर रहे है। ख0न0 2694 रकबा 15 ऐयर को भी तीनो ने बराबर हिस्से की भूमि को अपने हिस्से मे आई भूमि को ख0न0 2695,2696,2697 मे मिला रखा है। ख0न0 2701 चाह पुख्ता है जिसमे वादीगण ने 2/3 व रामजीलाल ने हिस्सा 1/3 धन राशि लगाकर सबंत 1989 मे रामसहाय प्रजापत निवासी टोडा तहसील बामनवास से सही कराया है। जिसमे तीनो के ही इंजन रखे है। ख0न0 2707 रकबा 10 ऐयर , 2708 मे हिस्सा 1/3 मे वादी संख्या 1 की , हिस्सा 1/3 मे वादी संख्या 2 की व हिस्सा 1/3 मे प्रतिवादी के पुख्ता मकान बने हुए है। जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण सपरिवार रहते चले आ रहे है। ख0न0 2708 की भूमि को वादीगण व प्रतिवादीगण ने बाडे आदि के काम मे लेते है। इस प्रकार उक्त आराजीयात मे वादीगण का 2/3 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/3 मौके की दृष्टि से व पूर्ण रिकार्ड के अनुसार निहित है। वादीगण नासमझ थे तथा अमरया चालाक था व वादीगण के साथ ही रहता था। वादीगण अमरया पर पूर्ण विश्वास करते थे, अमरया ने सम्वत 2003 की खतौनी मे 7 बीघा 4 विस्वा भूमि मे वादी संख्या ... नाम हजफ करवा दिया व भूमि एकीकरण मे चालाकी व बेईमानी से ... अलग अलग खाते दर्ज करवा दिये। जबकि कोई विभाजन भूमि का नही हुआ था ... उपजाऊ व चाही भूमि थी। उसमे तीसरे हिस्से से भी अधिक भूमि अपने हिस्से मे दर्ज ...वा कर अपने नाम अलग से खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दर्ज करवा लिया। इस प्रकार अमरया ने वादीगण के साथ विश्वास भंग कर बेईमानी से उक्त इन्द्राज करवा लिये। जो वादीगण के खिलाफ प्रभावहीन व बेअसर है। पूर्व बंदोबस्त विभाग भूमि एकीकरण विभाग द्वारा हाल बंदोबस्त विभाग की समस्त कार्यवाही व इन्द्राज गेर कानूनी अवैध तथा एवइनिशियो बोईड है। उन्हे रिकार्ड मे परिवर्तन करने व भूमि बदलने का काई अधिकार नही था। वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर बंटवारे व हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। जिसमे वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/3 व प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा है तथा इसी अनुसार खातेदार टीनेन्ट है। प्रतिवादीगण के पिता रामजीलाल के जीवनकाल तक उक्त बंटवारा व अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करने मे कोई परेशानी नही थी, सन 1999 मे पहली बार उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, स्वयं रामजीलाल भी यही चाहता था कि उक्त आराजीयात का इन्द्राज गलत हो रहा है। उक्त गलत इन्द्राज को सही कराने बाबत अपीलांट के कई बार निवेदन किया गया तथा ग्राम वासियो पंच पटेलो व रिश्तेदारो के माध्यम से भी समझाईश की गई। तब अपीलांट द्वारा दो बार लिखित मे इकरारनामा तहरीर कराने के उपरान्त भी मौके पर काबिज एवं हिस्से अनुसार बंटवारा नही कराने की धमकी दिये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा वाद पत्र का जबाब पेश किया गया है। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय विधिवत साक्ष्य करवाई जाकर विधि के अनुरूप तनकीयात कायम की गई। जिनमे तनकी संख्या 1 व 3 ता 5 को वादी के पक्ष मे निर्णित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण रूप से राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधि के प्रावधानो के तहत ही जारी की गई है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिसे वादीगण एवं प्रतिवागण द्वारा अपने दावे एवं जबाब दावे मे स्वीकार किया गया है । अपीलांट का कथन रहा कि दौराने दावा दूदया फौत हो गया था जिसके कायम मुकाम की कार्यवाही वादीगण द्वारा नही की गई है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के पक्ष मे निर्णय व डिक्री पारित की गई है। पत्रावली मे उपलब्ध सजरा खानदान अनुसार विवादित आराजीयात मे अपीलांट 1/2 हिस्से का एवं रेस्पो0 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त आराजीयात पैतृक है। जिसे वादी एवं प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप .से काश्त करना स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार वादीगण/रेस्पो0 द्वारा दावे मे सम्वत [illegible] मे अपना हिस्सा 1/2 तथा अपीलांट के पूर्वज अमरया का 1/2 हिस्सा दर्ज होना स्वीकार किया है। चूकि दौराने दावा दूदया फौत हो गया था जिसके कायम मुकाम की कार्यवाही वादीगण द्वारा नही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य नही होने के कारण पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात पर प्रदर्श नही डाले गये है इसके कारण दस्तावेज पढे नही जा सकते है। जबकि विधि के प्रावधानो के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:55 IST
Reason: SelfAttested

तहत प्रस्तुत दस्तावेजात पर साक्ष्य के आधार पर प्रदर्श डाले जाने चाहिए। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानो के विपरीत पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है तथा मृतक दूदया के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाकर वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य ली जाकर दस्तावेजात पर प्रदर्श कायम करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती के मुकदमा न0 282/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.8.19 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक दूदया के वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य ली जाकर पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात पर प्रदर्श कायम किये जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती के यहॉ दिनांक 24.4.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:55 IST
Reason: SelfAttested